

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जन सूचना अधिकारी मुख्यालय,
807, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

श्री

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ

दिनांक : 9 मार्च, 2021

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 05.03.2021 के संबंध में बिन्दुवार निम्नवत अवगत कराना है :-

1 - आपके पत्र के बिन्दु-1 के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंकुर पाण्डेय की नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई है, इनकी नियुक्ति उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ के माध्यम से हुई है।

2 - आपके पत्र के बिन्दु-2 के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंकुर पाण्डेय की नियुक्ति विज्ञप्ति सं0 19/परीक्षा/2015 के आधार पर हुई है। विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन की तिथि दिनांक 21.09.2021 है। उक्त की छायाप्रति प्राप्त किये जाने हेतु रू0 4/00 की धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3 - आपके पत्र के बिन्दु-3 के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंकुर पाण्डेय की नियुक्ति लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर हुई है।

4 - आपके पत्र के बिन्दु-4 के संबंध में अवगत कराना है कि नियुक्ति के समय दाखिल समक्ष शैक्षिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण नियमानुसार श्री अंकुर पाण्डेय, जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी से सहमति प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की जायेगी।

5 - आपके पत्र के बिन्दु-4 के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंकुर पाण्डेय की प्रथम नियुक्ति जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, गोरखपुर के पद पर कार्यालय क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, गोरखपुर क्षेत्र में वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2000 में हुई थी।

6 - आपके पत्र के बिन्दु-5 एवं 6 के संबंध में सूचना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से संबंधित होने के कारण आपके आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2021 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को प्रेषित किया जा रहा है।

क्रमशः --2

7 - आपके पत्र के बिन्दु-5 के संबंध में सूचना क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर से संबंधित होने के कारण आपके आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2021 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर को प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

29/3/21

(डा० राजीव श्रीवास्तव)

उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ०प्र०/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय

संख्या : (1) पी०पी० / 26-31 / 2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 - क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि श्री [REDACTED] के आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु-5 व 6 की सूचना आवेदक को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2 - क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि श्री [REDACTED] के आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु-5 की सूचना आवेदक को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

29/3/21

(डा० राजीव श्रीवास्तव)

उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ०प्र०/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय

ABV
09/03/2021

29/3/21

24/3/21

24/3/21

रजिस्टर्ड

संख्या : 1217 पी0पी0 / 26-31 / 2021

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जन सूचना अधिकारी मुख्यालय,
807, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

श्री [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ

दिनांक : 24 मार्च, 2021

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 05.03.2021 व इस कार्यालय के पत्र संख्या : 1068 पी0पी0 / 26-31 / 2021 दिनांक 09 मार्च, 2021 के बिन्दु-4 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आप द्वारा मांगी जा रही सूचना के तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण प्रकरण में संबंधित व्यक्ति (श्री अंकुर पाण्डेय, जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, बाराबंकी) से सहमति मांगी गयी थी। उनके (तृतीय पक्ष) द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (j) के अन्तर्गत सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

यदि आप दी गयी सूचनाओं/उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप संबंधित अधिनियम की धारा-19 (1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत है :-

श्रीमती सरोज कुमारी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
प्रथम अपीलीय अधिकारी, 808, जवाहर भवन, लखनऊ।
दूरभाष संख्या : 0522-2286664

भवदीय

24/3/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)

उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय

24/3/21

24/3/21

279-1230 पं.प/16

पृष्ठ 6

पंजीकृत

कार्यालय
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।

पत्रांक 279 म0स0ल0 / 2020-2021 / लखनऊ

दिनांक 25 मार्च, 2021,

श्री [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

जन सूचना अधिकारी/उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0: 1068(1) पी0पी0/26-31/2021 दिनांक 09-03-2021 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आपके पत्र दि0: 05/03/21 के संदर्भ में इस कार्यालय से संबंधित सूचना बिन्दुवार निम्नवत है:-

बिन्दु संख्या-5

लखनऊ क्षेत्रांतर्गत अधोहस्ताक्षरी के अधीन श्री अंकुर पांडेय द्वारा गोरखपुर से स्थानांतरण होने पर जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, बाराबंकी के पद पर दि0: 06/06/2017 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। इनका अवकाश विवरण निम्नवत है-

वर्ष	लिया गया अवकाश का प्रकार	अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक लिया गया
दि0: 06/06/2017 से 31/12/2017	---	---
दि0: 01/01/2018 से 31/12/2018	11 आकस्मिक अवकाश 16 दिनों का उपार्जित अवकाश	दि0: 08/05/2018, दि0: 10/05/2018, दि0: 19/05/2018, दि0: 23/05/2018, दि0: 20 से 22/06/2018 व दि0: 03 से 06/10/2018 दि0: 30/06/2018 से 15/07/2018
दि0: 01/01/2019 से 31/12/2019	08 आकस्मिक अवकाश	दि0: 05/12/2019 से 07/12/2019, दि0: 11/12/2019 से 13/12/2019 दि0: 23 व 24/12/2019
01/01/2020 से 31/12/2020	07 आकस्मिक अवकाश 10 दिनों का उपार्जित अवकाश	दि0: 28/06/2020, दि0: 04/08/2020, दि0: 29/09/2020, दि0: 01/10/2020, दि0: 10/11/2020, दि0: 21/11/2020 एवं दि0: 10/12/2020 दि0: 16/01/2020 से 25/01/2020
दि0: 01/01/2021 से वर्तमान तक	09 आकस्मिक अवकाश	दि0: 07 व 08/01/2021, दि0: 13/01/2021, दि0: 22/01/2021, दि0: 01/02/2021, दि0: 11/02/2021, दि0: 17/02/2021, दि0: 24/02/2021, एवं दि0: 04/03/2021

बिन्दु संख्या-6

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंकुर पांडेय के खिलाफ गोमती नगर थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज होने की सूचना विभाग में नहीं दी गयी है।

भवदीय

Holleo
28/3/21

(जलज मिश्र)

जन सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध
एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र

सं. 1383 वी. वी. ४४

(४०६०)

कार्यालय
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
गोरखपुर क्षेत्र।

संख्या: म०स०गो०/२०२०-२१/गोरखपुर

दिनांक ३१ मार्च २०२१

श्री [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, ५०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० १०६८(१)पी०पी०/२६-३१/२०२१ दिनांक ०९-०३-२०२१ के माध्यम से प्राप्त सूचना के अधिकार अधिनियम-२००५ के तहत आपके पत्र दिनांक ०५-०३-२०२१ के संदर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना बिन्दुवार निम्नवत है-

बिन्दु संख्या-०५

गोरखपुर क्षेत्रान्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के अधीन श्री अंकुर पाण्डेय जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी गोरखपुर के पद पर दिनांक २०-१०-२०१६ को कार्यभार ग्रहण किया गया तत्पश्चात दिनांक ०५-०६-२०१७ को इनका स्थानान्तरण लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी बाराबंकी के पद पर हो गया है। इनका अवकाश विवरण निम्नवत है-

वर्ष	लिया गया अवकाश का प्रकार	अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक लिया गया
२०-१०-२०१६ से ३१-१२-२०१६	०१ दिन आकस्मिक अवकाश	दिनांक २२-११-२०१६
०१-०१-२०१७ से ०५-०६-२०१७ तक	०२ दिन आकस्मिक अवकाश	दिनांक २३-०३-२०१७, दिनांक २४-०३-२०१७

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)

जनसूचना अधिकारी/

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी

गोरखपुर क्षेत्र।

संख्या: ~~१४४~~ म०स०गो०/२०२०-२१/गोरखपुर तददिनांक

प्रतिलिपि- उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी/जनसूचना अधिकारी मुख्यालय ४०८-जवाहर भवन लखनऊ को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अशोक
३१.३.२१

(अशोक कुमार सिंह)

जनसूचना अधिकारी/

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी

गोरखपुर क्षेत्र।

३५
४६
५-५-२०२१
६०२००
२
५१/२१